

न्यायालय तहसीलदार अजमेर

स्व मुकदमा संख्या 27/2020

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व

अधिनियम, 1956

सरकार

भूडोल

बनाम

श्री धार्वती देवी अंनाराधना सिंह

श्वेत नि० भूडोल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भूडोल खसरा नं. 2384 रकबा 0.16 किस्म बीड सिवायचक है, पर सम्वत 2017 में अतिक्रमण कर-स्वी / खसीफ में फसल काटो की खाड लगाकर ताएव ही बो दी है। घास / बाड़ा / मकान या अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।
ए आ बी डि भाग में मूली फसल बनाकर अतिक्रमण

पटवारी रिपोर्ट से आश्वस्त होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90 ए. एवं 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई। विपक्षी बावजूद नोटिस पर हाजिर / गैरहाजिर आया। इसलिए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार / अस्वीकार किया। बचाव पक्ष में किसी तरह की शहादत पेश नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक भूडोल को फसल की निलामी / निर्माण कार्य जब्त सरकार कर फर्द पेश करेंगे एवं दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1 रूपये का 50 गुणा 50/- शास्ति रुपया 50/- कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को कायमी व पटवारी को कायमी बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/9/20 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 50/-
रा.ले.सं.-4 वर्ष 2020-2021 के पृष्ठ सं. 30
पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
अजमेर

तहसीलदार अजमेर
न्याय तहसीलदार
अजमेर प्रथम सिपा